भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2561 का उत्तर

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

2561. श्री शंकर लालवानीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभाग के लिए जनसंख्या के बढ़ते दबाव और निधियों की कमी से निपटना रेलवे लाइनों के विस्तार में बड़ी चुनौती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): इस समय, भारतीय रेल ने 6.75 लाख करोड़ रु. लागत से 49,069 किमी लंबाई की 498 रेल परियोजनाओं को शुरू किया है, जोकि निष्पादन/योजना/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से, 8,979 किमी की लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2019 तक 1.53 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

रेल परियोजनाओं को राज्य सरकार अथवा निजी संस्थाओं आदि की भागीदारी द्वारा राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों तथा रेलवे की अपनी आवश्यकता की मांग के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इन्हें लाभप्रदता, लास्ट

माइल कनेक्टिविटी, मिसिंग लिंक्स और वैकल्पिक मार्गों के आधार पर आरंभ किया जाता है।

वर्ष 2014-19 में रेलवे की विस्तारित परियोजनाओं (नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण परियोजनाएं) में औसत वार्षिक व्यय 26,022 करोड़ रुपए था, जो 2009-14 के दौरान किए गए औसत वार्षिक व्यय का 226% है और वर्ष 2019-20 के लिए बजट आबंटन 30,198 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय का 262% है।

क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे थ्रूपुट संवर्द्धन/परियोजनाओं के लिए समर्पित निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक एक परियोजना से दूसरी परियोजना तथा एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

******

Sk